न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं० 5, रामपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 181/2021
(पंजीयन संख्या–1670/2021)
सी०एन०आर० संख्या– UPRP010030112021

दिशान उम्र 26 वर्ष पुत्र स्व० सुहैल उर्फ पप्पू निवासी मौहल्ला बेरियान थाना कोतवाली जिला रामपुर। – प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ----------विपक्षी।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त दिशान की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र मु० अ० सं० 124/2021, अन्तर्गत धारा 8/20 एन० डी० पी० एस० एक्ट, थाना–कोतवाली जिला रामपुर के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) को सुना तथा सुसंगत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 26–06–2021 से जिला कारागार रामपुर में निरूद्ध है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। पुलिस उससे मुखबरी करने को कहती थी,उसके इंकार करने पर उसका झूठा चालान कर दिया। वह जिला रामपुर का मूल निवासी है और अपनी जमानत हेतु उचित व योग्य जमानती प्रस्तुत करने को तैयार है। अतः प्रार्थना है कि दौराने मुकदमा प्रार्थी को रिहा फरमाने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्त के पास से 300 ग्राम चरस नजायज बरामद हुई है , जोकि गंभीर अपराध है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

सुना एवं सुसंगत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 20.06.2021 को समय करीब 17.20 बजे घटनास्थल सनातन इण्टर कालिज अन्तर्गत थाना कोतवाली जिला रामपुर में पकड़ा गया जिसके कब्जे से 300 ग्राम चरस नजायज की बरामदगी होना अभिकथित किया गया है। अभियुक्त उक्त मामले में दिनांक 20.06.2021 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रस्तुत मामले में कोई घटना का स्वतंत्र साक्षी नहीं बताया गया है।थाने से प्राप्त आख्या में अभियुक्त के विरूद्ध कोई अन्य मामला नहीं दर्शाया गयाहै। यह भी उल्लेखनीय है

कि अभियुक्त से दर्शायी गयी बरामदगी वाणिज्यिक मात्रा के अंतर्गत नहीं आती है, जो कि अल्प मात्रा से अधिक है, किंतु वाणिज्यिक मात्रा से काफी कम है। अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि वह उचित व योग्य जमानती प्रस्तुत करने को तैयार है। ऐसे में प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत का आधार इस शर्त पर पाया जाता है कि वह विचारण में सहयोग करेगा तथा गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा तथा नियत तिथियों पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उपरोक्तानुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त दिशान का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा रू० 50,000/– का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक 23.07.2021

(प्रदीप कुमार– IV),
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं० 5/विशेष न्यायाधीश,
एन०डी०पी०एस० एक्ट, रामपुर।
J.O.Code–UP1733

R.S

Digitally signed by Pradeep kumar
Date: 2021.07.27 11:20:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court